राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 206/2022

GCMS No. 2022/569

1. फूलचन्द सैनी पुत्र रामदेव सिंह सैनी
2. भागूराम पुत्र रामदेव
   जाति माली निवासी ढाणी डाबड़ाला तन् गुड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज०

........वादीगण

ब–ना–म

राजस्थान सकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादी

वाद– घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

:: निर्णय :: **दिनांक :–16–12–2022**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 385 ख.नं. 278 रकबा 1.09 है., ख.नं. 279 रकबा 0.44 है., ख.नं. 290 रकबा 0.10 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.63 है. के वादीगण एवं जमाबन्दी में दर्ज राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामदेव, शकरलाल पु. रामदेव संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम कांकरिया स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 384 ख.नं. 285 रकबा 0.05 है. में वादीगण व वादीगण के भाई राजेन्द्र प्रसाद, शंकरलाल का प्रत्येक का 1/16, 1/16 यानि 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादीगण व वादीगण के भाई राजेन्द्र प्रसाद, शंकरलाल की उपरोक्त भूमि जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 08.01.2002 को क्रय की हुई है विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण पुर होकर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। विक्रय पत्र के वक्त वादीगण का घरेलू नाम भागीरथ, बनवारीलाल अंकित करवा दिया और यही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गये जबकि वादी सं. 1 का सही नाम फूलचन्द सैनी रामदेव सिंह सैनी है और वादीसं. 1 के दस्तावेज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र व पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड व सर्विस रिकार्ड में भी यही नाम दर्ज है जबकि जमाबन्दी में बनवारी लाल पुत्र रामदेव दर्ज है जो गलत है एवं वादी सं. 2 का सही नाम भागूराम पुत्र रामदेव है जो वादी सं. 2 के दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में दर्ज है जबकि जमाबन्दी में भागीरथ पुत्र रामदेव दर्ज है जो गलत है। वादीगण का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से वादीगण की भारी हकतलफी है और वादीगण सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से भी जमाबन्दी में नाम गलत दर्ज होने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए वादीगण को यह वादपेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 385 ख.नं. 278 रकबा 1.09 है., ख.नं. 279 रकबा 0.44 है., ख.नं. 280 रकबा 0.10 है. कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.63 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

वाके ग्राम कांकरिया स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 384 ख. न 285 रकबा 0.05 है में वादी सं. 1 का नाम बनवारी लाल पुत्र रामदेव के स्थान पर फूलचन्द सैनी पुत्र रामदेव सिंह सैनी तथा वादी सं. 2 का नाम भागीरथ पुत्र रामदेव के स्थान पर भागूराम पुत्र रामदेव घोषित किया जाकर रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे, रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/1493 दिनांक 12.10.2022 से पटवारी, पटवार मण्डल कांकरिया की मूल रिपोर्ट भिजवाई है। पटवारी हल्का कांकरिया की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज बनवारी लाल पुत्र रामदेव तथा फूलचन्द सैनी पुत्र रामदेव सिंह सैनी एक ही व्यक्ति है तथा भागीरथ पुत्र रामदेव व भागूराम पुत्र रामदेव एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टि बनवारी लाल पुत्र रामदेव के स्थान पर काश्तकार के हित को देखते हुए फूलचन्द सैनी पुत्र रामदेव सिंह सैनी तथा भागीरथ पुत्र रामदेव के स्थान पर भागूराम पुत्र रामदेव शुद्ध किया जाना न्यायसगत होगा।

वादीगण ढाणी डाबडाला वन् गुड़ा तहसील उदयपुरवाटी के निवासी होने के कारण प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.), उदयपुरवाटी से भी जांच रिपोर्ट तलबी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), उदयपुरवाटी ने भी जरिये पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/3911 दिनांक 14.12.2022 से पटवारी हल्का गुड़ा की जांच रिपोर्ट मूल ही संलग्न कर भिजवाई है जो शामिल पत्रावली की गई।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 08.01.2002, नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 खाता सं. 385, खाता सं. 384 ग्राम कांकरिया, फोटो प्रति अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड फूलचन्द सैनी के तथा फोटो प्रति भागूराम के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र फूलचन्द सैनी (पी.डब्ल्यू.–1), भागूराम (पी.डब्ल्यू.–2), राजेन्द्र प्रसाद (पी.डब्ल्यू.–3) भी पेश किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं पटवारी हल्का कांकरिया व गुड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 385 में दर्ज खसरा नंबर 278, 279, 280 कुल किता 3 कुल रकबा 1.63 है. व ग्राम कांकरिया स्थित भूमि खाता संख्या 384 में दर्ज खसरा नंबर 285 रकबा 0.05 है. में वर्तमान दर्ज खातेदार **वादी सं. 1 बनवारी लाल पुत्र रामदेव** के स्थान पर **फूलचन्द सैनी पुत्र रामदेव सिंह सैनी** तथा **वादी सं. 2 भागीरथ पुत्र रामदेव** के स्थान पर **भागूराम पुत्र रामदेव** दर्ज किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:10 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

ासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

फूलचन्द सैनी आदि

ब–ना–म

राजस्थान सरकार

वा बाबत **घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती**

कदमा नम्बर :– **206 / 2022**

र्णय दिनांक :– **16–12–2022**

वादीगण की ओर से **श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर .... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **16–12–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 385 में दर्ज खसरा बर 278, 279, 280 कुल किता 3 कुल रकबा 1.63 है. व ग्राम कांकरिया स्थित भूमि खाता ख्या 384 में दर्ज खसरा नंबर 285 रकबा 0.05 है. में वर्तमान दर्ज खातेदार वादी सं. 1 नवारी लाल पुत्र रामदेव के स्थान पर फूलचन्द सैनी पुत्र रामदेव सिंह सैनी तथा वादी सं. 2 गीरथ पुत्र रामदेव के स्थान पर भागूराम पुत्र रामदेव दर्ज किया जाकर रिकार्ड राजस्व रूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **16–12–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर ी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner